सी.एस.आई.आर–हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान
पालमपुर–176061 (हिमाचल प्रदेश)
CSIR-INSTITUTE OF HIMALAYAN BIORESOURCE TECHNOLOGY
PALAMPUR -176061 (H.P.)

No. 16G-(G-42)/IHBT/16 **Dated : 22.04.2022**

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

यह सूचित किया जाता है कि सी.एस.आई.आर.–हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर ठेकेदार/केटरर्स के माध्यम से संस्थान के अध्येता छात्रावास परिसर में स्टॉफ तथा अध्येताओं हेतु कैंटीन का संचालन करता है। इस संबंध में स्थानीय ठेकेदारों/केटरर्स से अभिरुचि की अभिव्यक्ति **(Expression of Interest)** आमंत्रित की जाती है।

कैंटीन ठेके हेतु नियम एवं शर्तें निम्न अनुसार होंगी :

1. खाद्य पदार्थ उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए।
2. खाद्य पदार्थ बनाते समय स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए।
3. कैंटीन संचालन के लिए आवेदन करने के लिए संचालक के पास कम से कम 2 वर्षों का कैंटीन सेवाओं का अनुभव होना चाहिए या केटरिंग सेवाओं के लिए दो वर्ष पूर्व पंजीकरण होना चाहिए।
4. सभी वस्तुओं की दरें उचित होनी चाहिएं तथा किसी भी स्थिति में प्रचलित बाज़ार दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। संस्थान द्वारा समय–समय पर दरों का आकलन किया जाएगा, जिसे लागू करना कैंटीन संचालक के लिए अनिवार्य होगा। संचालक को खाद्य सामग्री की दर–सूची प्रदर्शित करनी होगी।
5. कैंटीन संचालक को संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
6. वास्तविक (as per actual) बिजली बिल का भुगतान प्रतिमाह कैंटीन संचालक द्वारा करना होगा। कैंटीन संचालक को तीन हज़ार रूपये सिक्युरिटी राशि जमा करनी होगी।
7. हॉस्टल कैंटीन परिसर प्रतिमाह किराए के आधार पर दिया जाएगा। उच्चतम मासिक किराया देने वाले ठेकेदार को ही कैंटीन संचालन का ठेका अवार्ड किया जाएगा।
8. कैंटीन का समय प्रातः 8:00 बजे से सांय 8:00 बजे तक रहेगा। खाद्य पदार्थों की तैयारी एवं साफ सफाई में यदि अधिक समय लगे तो एक घण्टे तक की अतिरिक्त अवधि मान्य होगी।
9. कैंटीन संचालक को पेय पदार्थ (चाय, कॉफी, शीतल पेय), समोसा, पकौड़ा, चाउमीन, मोमो, बर्गर इत्यादि बनाने की अनुमति रहेगी तथा अन्य आईटम आवश्यकता अनुसार बढ़ाई भी जा सकती हैं।
10. कैंटीन संचालन का ठेका कुल 2 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। शुरूआत में ठेका 6 महीने का होगा तथा संतोषजनक सेवाओं के आधार पर हर 6 महीने की अवधि पर आगे बढ़ाया जाएगा।
11. कैंटीन में सभी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन निषेध होगा।
12. कैंटीन संचालन का ठेका अवार्ड करने का अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी, सी.एस.आई.आर.–आई.एच.बी.टी. के पास सुरक्षित रहेगा।

22/4/22

13. कैंटीन परिसर की साफ–सफाई का दायित्व संचालक का होगा।

14. संचालक को सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा।

इच्छुक ठेकेदारों/केटरर्स से अनुरोध है कि उपरोक्त नियमों एवं शर्तों के अनुसार सीलबंद निविदाएं संलग्न प्रपत्र में भरकर दिनांक 28.04.2022 को अपराह्न 3:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करें। समिति द्वारा सभी सीलबंद निविदाएं दिनांक 28.04.2022 को अपराह्न 3:30 बजे खोली जाएंगी।

प्रशासनिक अधिकारी
22/4/22

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख, पीपीएमई – अभिरुचि की अभिव्यक्ति तथा संलग्नक–क को संस्थान की वैबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।

22/4/22

संलग्नक – क

दिनांक :...............................

सेवा में

निदेशक
सीएसआईआर–हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान
पालमपुर, जिला. कांगड़ा (हि.प्र.)

विषयः अध्येता छात्रावास परिसर में कैंटीन संचालन के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं. 16G-(G-42)/IHBT/16/ दिनांक 18.04.2022 के संदर्भ में मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं एतद्वारा अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूं और मैं मासिक रूप से रुपये ....(शब्दों में ....) के लाइसेंस शुल्क पर कैंटीन का संचालन करूंगा।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

नाम :

पता :

मोबाईल नं0 :

संलग्न : अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) की प्रति।

22/4/22